

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक..... ४६ सीकर/२००७ - २००८

यह प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षा एवं उग्रमी
विकास संस्थान नीमका थाना जिला सीकर का राजस्थान
संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम सं. २८, १९५८) के अन्तर्गत
रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक १६ अक्टूबर
सन् २००७ को सीकर में दिया गया ।



(सुरेश कुमार मीणा)
रजिस्ट्रार संस्थान,
सीकर